भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2464

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

'नव्या' व्यावसायिक प्रशिक्षण

2464. श्री कामाख्या प्रसाद तासाः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण (नव्या) व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) ऐसी पहल के अंतर्गत शामिल आकांक्षी जिलों और राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजना से कितनी किशोरियों के लाभान्वित होने की संभावना है तथा उक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंतर्गत प्रमुख लक्षित क्षेत्र क्या हैं;

(घ) हरित कौशल और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं तथा भविष्य की हरित अर्थव्यवस्था में युवाओं के करियर के विकास के संबंध में क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यौरा क्या है और उम्मीदवारों की पात्रता और ऐसे प्रशिक्षण की अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चयनित शैक्षणिक संस्थानों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) की संयुक्त पहल, नव्या (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं को विकसित करना) का शुभारंभ जून 2025 में किया गया था। इस पहल का उद्देश्य आकांक्षी जिलों में 16-18 वर्ष की किशोरियों को सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रासंगिक कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस पहल के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के अनुरूप मांग-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
ii. स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समझदारी, जीवन कौशल और कानूनी जागरूकता पर मॉड्यूल के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देना।
iii. रोजगार क्षमता, स्वरोजगार और इंटर्नशिप, शिक्षुता और नौकरी के अवसरों जैसे आगे के संबंधों को बढ़ावा देना।
iv. लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए कौशलीकरण को सुदृढ़ करना और एक सुरक्षित, सहायक प्रशिक्षण वातावरण बनाना।
v. शिक्षा और आजीविका के बीच के अंतर को पाटना, विशेष रूप से वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों के लिए।

(ख) नव्या पहल के तहत 19 राज्यों के 27 जिलों को शामिल किया गया है। इसका विस्तृत ब्यौरा **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ग) नव्या पहल के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) के अंतर्गत 3850 किशोरियों को डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, एआई-सक्षम सेवाएं, हरित रोजगार और अन्य उभरते क्षेत्रों जैसे गैर-पारंपरिक और आधुनिक रोजगार भूमिकाओं में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, उन्हें वर्तमान और भविष्य की कार्यबल मांगों के लिए तैयार करने हेतु जीवन कौशल, वित्तीय समझदारी और डिजिटल दक्षता में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह पहल लड़कियों की नियोजनीयता और सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाएगी।

(घ) से (च) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने सीएसआर के अंतर्गत शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड (शेल) के साथ मिलकर पांच राज्यों - कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली - के 10-12 संस्थानों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रौद्योगिकी पर केंद्रित एक हरित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रायोगिक परियोजना शुरू किया है। इस साझेदारी के तहत, इन राज्यों के 4 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और 10-12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शेल उपकरणों से सुसज्जित ईवी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मोटर वाहन मैकेनिक (एमएमवी), डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आदि जैसे ट्रेडों के मौजूदा छात्रों और प्रशिक्षकों को शेल के कार्यान्वयन भागीदारों के सहयोग से अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और आईटीआई में प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित अवधियों के होंगे:

1. इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोगशालाओं सहित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में: 240 घंटे का गहन इलेक्ट्रिक वाहन तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोगशालाओं सहित आईटीआई में: 90 घंटे का नौकरी-केंद्रित इलेक्ट्रिक वाहन कौशल प्रशिक्षण।
3. आईटीआई जहां प्रयोगशालाएं नहीं हैं: 50 घंटे का वर्चुअल मूलभूत हरित कौशल कार्यक्रम।
4. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी): प्रशिक्षकों के लिए 50 घंटे का क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त, डीजीटी ने एनएसक्यूएफ-अनुरूप 169 पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, जिनमें हरित कौशल और इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कार्यबल को इन क्षेत्रों में भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और देश भर में कुशल जनशक्ति के लिए उद्योग की मांग को पूरा करना है:

क्रम सं	**पाठ्यक्रम का नाम**	**अवधि**	**एनएसक्यूएफ़ स्तर**
1.	हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीशियन	एक वर्ष	3.5
2.	इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक	दो वर्ष	4
3.	पवन ऊर्जा संयंत्र तकनीशियन	दो वर्ष	4
4.	लघु जल विद्युत संयंत्र तकनीशियन	दो वर्ष	4

ये पाठ्यक्रम शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 15.12.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2464 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नव्या पहल के अंतर्गत आने वाले राज्यों और जिलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य**	**जिले**
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग
2.	आंध्र प्रदेश	पार्वतीपुरम मान्यम
3.	असम	बारपेटा
4.	बिहार	गया
5.	छत्तीसगढ	महासमुंद, बस्तर
6.	गुजरात	दाहोद,नर्मदा
7.	हरियाणा	नूह
8.	हिमाचल प्रदेश	चंबा
9.	जम्मू और कश्मीर	बारामूला
10.	झारखंड	गिरिडीह, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम
11.	कर्नाटक	रायचूर
12.	मध्य प्रदेश	बड़वानी, विदिशा
13.	महाराष्ट्र	गढ़चिरौली, नंदुरबार
14.	ओडिशा	ढेंकनाल, रायगडा
15.	पंजाब	मोगा
16.	राजस्थान	धौलपुर
17.	तमिलनाडु	विरुधुनगर
18.	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर, सोनभद्र
19.	उत्तराखंड	हरिद्वार

*****